न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /17/2021

कमोदा पुत्री श्यामा पत्नी श्रीपत जाति गूजर निवासी धाउपायसा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर .....अपीलान्ट

बनाम

1–राजाराम पुत्र श्यामा
2–सुगडसिंह (मृतक)
2/1–सोनादेवी बेवा सुगडसिंह
2/2–अशोक पुत्र सुगडसिंह
2/3–गणेश पुत्र सुगडसिंह
2/4–बन्टी पुत्री सुगडसिंह
2/5–कमलेश पुत्री सुगडसिंह
2/6–गौरी पुत्री सुगडसिंह
3–पचवीर पुत्र श्यामा
4–मटरो बेवा भोवल
5–धर्मवीर पुत्र भोवल
} जाति गूजर निवासी धाउ पायसा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

6–जीतेन्द्र पुत्र भोवल
7–सुमन पुत्री भोवल पत्नी दिनेश जाति गूजर निवासी मलाह तहसील भरतपुर
8–सीमा पुत्री भोवल पत्नी सुरेश । जाति गूजर निवासी धाउ पायसा भरतपुर
9–सन्तोष पुत्री भोवल पत्नी वीरेन्द्र ।
10–रेशम बेवा चन्दर
11–अतुल पुत्र चन्दर
12–आदेश पुत्र चन्दर
} जाति गूजर निवासी धाउ पायसा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

13–कृपा पुत्री चन्दर पत्नी वन्टू जाति गूजर निवासी ग्रांम मडौली रुदावल तहसील रुपवास जिला भरतपुर
14–अन्जु पुत्री चन्दर पत्नी हुकमसिंह
15–मंजू पुत्री चन्दर पत्नी नरेन्द्र
16–रेनू पुत्री चन्दर पत्नी चन्दर जाति गूजर निवासी मलाह तहसील व जिला भरतपुर
17– सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर

........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 8.6.93 बावत नामान्तकरण संख्या 69 ग्रांम श्रीनगर, कस्वा भरतपुर चक नं.1 तहसील भरतपुर ।

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /17/2021
कमोदा बनाम राजाराम वगे0

उपस्थितः–
1–श्री कृष्ण कुमार सिंघल, अभिभाषक अपीलान्ट,

निर्णय दिनांक 25.10.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 8.6.1993 कस्वा भरतपुर चक नं.1 तहसील भरतपुर जिला भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 69 मृतक श्यामा पुत्र छोटेलाल कौम गूजर निवासी अटलबन्ध दरवाजा भरतपुर की विरासत का स्वीकार किया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.4.2021 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो. की तलबी की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्र क्रमांक/एलआर/24/4844 दिनांक 5–8–2024 से नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। रेस्पो. बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि मृतक श्यामा के वारिसान अपीलान्टा व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 व मृतक भोवल व मृतक चन्दर 1/6, 1/6 के सहखातेदार काश्तकार है। तहत न्यायालय ने अपीलान्टा को छोड़कर अकेल रेस्पो0 के हक में नामान्तकरण दर्ज करने बाबत नियमों के खिलाफ नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया और नाहीं कोई नोटिस जारी किया गया है। मृतका श्यामा की लड़की होने के नाते वारिसान में अपीलान्टा प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा वह रेस्पो0 के साथ ही विवादित आराजी में सहखातेदार है। अपीलान्टा का विरासत के आधार पर आराजी में 1/6 हिस्सा होता है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 22.3.21 को हल्का पटवारी से अपने नाम विवादित आराजी पर दर्ज कराने को कहा जब जाकर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। नकल वगे. लेकर अपील जानकारी होने की दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा –5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जाकर अपीलान्टा को विवादित आराजी में उसके हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की।

........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्टा के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्टा द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 69 आदेश तारीखी 8.6.93 की यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.04.2021 यानि लगभग 28 साल बाद पेश की गई है। अपील की देरी को माफ करने के लिये अपीलान्टा ने म्याद अधिनियम धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 22.3.2021 को होना बताया है, अपीलान्ट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलान्टा ने अपने जुबानी कथनों की पुष्टी में हल्का पटवारी का कोई शपथ पत्र वगै. भी पेश नहीं किया गया है। अस्तु अपील म्याद बाहर होने से काबिल खारिज योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर